मदरसों का ऑन लाईन पंजीकरण (Registration) कराने हेतु दिशा–निर्देशः–

केवल वही मदरसे पंजीकरण करें, जिनका पिछले वर्ष नहीं हुआ था। वेब साइट पर पूर्व से पंजीकृत मदरसों एवं वर्तमान में उच्चीकृत किये गये मदरसों का पंजीकरण नहीं कराया जाना है। ऐसे मदरसों का पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय स्तर पर कर दिया जायेगा।

पुरानी मान्यता प्राप्त मदरसों हेतु दिशा–निर्देशः–

1. समस्त सूचनायें, जैसे नाम, सोसायटी का नाम, पता, प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य का नाम ठीक प्रकार से भरें।
2. मदरसा अनुदानित अथवा गैर अनुदानित है, का स्पष्ट उल्लेख करें।
3. मदरसे की मान्यता स्थायी अथवा अस्थायी है, इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
4. प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य का मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।
5. मदरसे का मान्यता प्रमाण–पत्र एवं सोसायटी पंजीकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
6. मान्यता स्तर तक ही पंजीकरण मान्य है।

नवीन मान्यता प्राप्त मदरसों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशः–

1. मदरसे अपनी समस्त सूचनायें, जैसे नाम, सोसायटी का नाम, पता, प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य का नाम ठीक प्रकार से भरें।
2. मदरसा अनुदानित अथवा गैर अनुदानित है उसका स्पष्ट उल्लेख करें।

3. प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य का मोबाइल नम्बर अंकित कराना अनिवार्य है।
4. मदरसे का मान्यता प्रमाण–पत्र एवं सोसायटी पंजीकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य हे।
5. मान्यता के स्तर तक ही पंजीकरण कराया जायेगा।
6. मान्यता के वर्ष में सूचि का क्रमांक एवं मान्यता दिनांक भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित करें।
7. सुलभ सदर्भ हेतु नवीन मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची परिषद की वेब साइट upbme.edu.in पर उपलब्ध है।
8. मदरसे के मान्यता प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने के स्थान पर मान्यता सूची के पृष्ठ का प्रिन्ट आउट निकाल कर अपलोड कर दें।
9. सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

समस्त सूचनायें सही–सही अंकित करें। यदि आपके द्वारा गलत जानकारी दी गयी है तो पंजीकरण स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा।

पंजीकरण करने के उपरान्त प्रिन्ट आउट लेकर समस्त संलग्नकों सहित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें तथा मदरसे का आन लाईन वैरिफिकेशन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से करायें। इसके उपरान्त ही user id एवं Password प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य के मोबाइल पर SMS द्वारा दिया जायेगा।